



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1

PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 10, 2018/आषाढ़ 19, 1940

No. 06]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 10, 2018/ASHADHA 19, 1940

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2018

सं. 2018/ई एण्ड आर/1(3)/6.—यह आम जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने मध्य रेलवे के मुंबई मंडल और पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल के क्षेत्राधिकार में संशोधन करने का विनिश्चय किया है।

(i) संपूर्ण वक्र सं. 6 पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में होगा।

(ii) पश्चिम रेलवे की सीमा को किंग सर्कल की ओर सीएच: 12590.77 से सीएच: 12522.93 तक बढ़ाया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल और मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के बीच की नई सीमा डाउन हार्बर लाइन सीएच : 12522.93 पर होगी।

उपर्युक्त क्षेत्राधिकार में परिवर्तन 1 अगस्त, 2018 से प्रभावी होगा।

रंजनेश सहाय, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2018

No. 2018/E&R/1(3)/6.—It is hereby notified for general information that keeping in view the operational requirements, Central Government has decided to revise the jurisdiction of Mumbai Division of Central Railway and Mumbai Division of Western Railway.

- (i) The entire curve No. 6 will fall in the Jurisdiction of Western Railway.
- (ii) The boundary of Western Railway will extend from CH: 12590.77 to CH: 12522.93 towards King Circle.

The new boundary between Mumbai Division of Western Railway and Mumbai Division of Central Railway will be CH: 12522.93 on Down Harbour Line.

The changes in the above jurisdiction will come into effect from 1st August, 2018.

RANJANESH SAHAI, Secy.